

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

// शुद्धि पत्र //

कमॉक/523/अति.जि.दण्डा./2020

दुर्ग, दिनांक 22 जुलाई, 2020

कार्यालयीन आदेश कमॉक 522/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए कंडिका "स" के अन्तर्गत "12" एवं "19" को निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

12. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 6:00 बजे से 9:30 बजे तक एवं सांय 5:00 बजे से 6:30 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6:00 बजे से 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।
19. पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं मंडारण की गतिविधियों की अनुमति प्रातः 6:00 से दोपहर 3:00 बजे तक होगी ।

उक्त कार्यालयीन आदेश की शेष कंडिकार्यें यथावत् रहेंगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।



कमॉक/523/अति.जि.दण्डा./2020

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवारायपुर अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नवारायपुर अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, भिलाई को सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई चरोदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
9. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(डॉ० सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 22 जुलाई, 2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग